

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म०प्र०)

//ज्ञापन//

क्रमांक- 4499 / 25

-1 MAY 2025
उज्जैन, दिनांक-

प्रति,

समस्त न्यायालय
जिला मुख्यालय उज्जैन (म.प्र.)।

विषय:- अंतिम तर्क/अंतिम प्रकृम के लंबित प्रकरणों एवं निराकृत प्रकरणों की स्कैनिंग करवाये जाने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आदेशानुसार लेख है जिला न्यायालय उज्जैन में डिजिटাইजेशन के कार्य हेतु निम्नानुसार बिंदुओं पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है:-


01. प्रतिदिन कुल 05 प्रकरण जो कि अंतिम तर्क/अंतिम प्रकृम/निराकृत प्रकरणों के लिए नियत है डिजिटাইजेशन सेंटर में भेजे जाने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित करने का कष्ट करें।

02. लंबित प्रकरणों को **ईआरपी सॉफ्टवेयर** के पेंडिंग ऑप्शन तथा डिस्पोजल प्रकरणों को लंबित डिस्पोजल ऑप्शन के माध्यम से ही स्कैनिंग सेंटर, जिला मुख्यालय उज्जैन में भेजे जाने का कष्ट करें।

03. समस्त न्यायालयीन प्रकरणों पर फोटोकॉपी, नॉट टू बी स्कैन (X) वाली मुद्रा (सील) आवश्यक दस्तावेजों पर अंकित किये जाने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित करने का कष्ट करें।

04. निराकृत प्रकरणों को जमा करने के पूर्व प्रत्येक माह अभिलेख स्कैनिंग किये जाने के उपरांत ही अभिलेखागार अनुविभाग में भेजे जाने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित किये जाने तथा मासिक निराकृत प्रकरणों में इस आशय का प्रमाणीकरण कि अभिलेख स्कैन किया जा चुका है, प्रमाणित कर संबंधित लिपिक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार,


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन(म.प्र.)

प्रतिलिपि- 01. कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय उज्जैन की ओर उक्त समस्त कार्यवाही का अपडेट जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला उज्जैन से प्राप्त कर साप्ताहिक प्रतिवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के समक्ष प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

— Sd —
वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन(म.प्र.)